

पत्रांक:- 213 / 14 सी0

दिनांक:- 14 / 02 / 2025

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
गढ़वाल वन प्रभाग,
पौड़ी (गढ़वाल)

विषय-

जनपद पौड़ी गढ़वाल में मैखोली-देवराडी-कटूरखाल मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.99 है0 वनभूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक मोटर मार्ग का ऑनलाईन प्रस्ताव संख्या 1625/FP/UK/ROAD/16539/2015 की सैद्धान्तिक स्वीकृति उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या 08बी/यू0सी0पी0/06/131/2015/एफ0एसी0/1132 दिनांक 09.10.2016 द्वारा प्राप्त है। विधिवत स्वीकृति प्राप्त करने हेतु शर्तों का बिन्दुवार अनुपालन निम्नानुसार है।

क्र० सं०	अधिरोपित शर्त	सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या
1	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रत्यावर्तन भूमि के बदले 6.156 है0 ग्राम चिलाऊ पल्ला सिविल सोयम भूमि पर प्रतिपूरक वृक्षारोपण एवं उसके 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हुये यथासंशोधित) जमा की जायेगी। उक्त भूमि वन विभाग के सवामित्व के बाहर है अतः इसे वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण किया जायेगा। भूमि के हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात ही इस कार्यालय द्वारा विधिवत स्वीकृति प्रदान की जायेगी।	कार्यालय जिलाधिकारी गढ़वाल सं० 678/26-प्रा0अधि0 (शा0प्रशा0)/2018 दिनांक पौड़ी 19.01.2018 आदेश उपजिलाधिकारी धुमाकोट के पत्रांक 206/अहलमद-विधिक/2017-18 दिनांक 13.12.2017 के द्वारा मैखोली देवराडी कफलेख कटूरखाल मोटर मार्ग हेतु ग्राम चिलाऊ पल्ला पट्टी बंगी तहसील धुमाकोट के नान जेड ए 9 (2) ख जंगल झाडी खसरा सं० 579 की कुल रक्वा 7.557 है0 मध्ये 6.156 सिविल भूमि प्रस्तावित है, एवं शासनादेश सं० 2173/ XVII (2)/2012-18 (120) 2010 दिनांक 17.12. 2023 सरकारी योजना के लिये वृक्षारोपण हेतु सिविल भूमि का वन विभाग के पक्ष में नियमानुसार नामान्तरण किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है। जिसका दाखिल खारीज चलवा लिया है। (नकल खतोनी संलग्न तीन प्रतियों में।) (संलग्नक -4)
2.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007-एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी।	इस खण्ड द्वारा भारत सरकार के पत्र सं० 5-3/2007 एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) की निर्धारित धनराशि जमा की जा चुकी है।
3	शुद्ध वर्तमान मूल्य की दर में अगर बढ़ोतरी होती है तो बढी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी। इस आशय की प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचन बद्धता प्रस्तुत की जाए।	वर्तमान मूल्य की दर में अगर बढ़ोतरी होती है तो बढी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि जमा किये जाने की वचनबद्धता का प्रमाण पत्र तीन प्रतियों में संलग्न है। (संलग्नक -2)
4	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार पत्र सं० 5-3/2007 एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) तथा दूसरी सभी निधियों प्रतिपूर्ति वृक्षारोपण निधि प्रबन्धक तथा योजना प्राधिकरण (CAMP) के तदर्थ निकाय खाते में Online Portal के माध्यम द्वारा जो चालान Generate होता है। उसी के माध्यम से किया जाना आवश्यक है जिसकी सूचना इस कार्यालय को प्रेषित की जाए।	इस खण्ड द्वारा भारत सरकार के पत्र सं० 5-3/2007 एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) एवं दूसरी सभी निधियों प्रतिपूर्ति वृक्षारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण (कैम्पा) के तहत निकाय खाते में आनलाईन पोर्टल के माध्यम द्वारा चालान जनरेट कर जमा किया गया है। जो कि, आनलाईन paid दिखा रहा है (प्रति संलग्न तीन प्रतियों में) (संलग्नक -1)
5	सड़क निर्माण के पश्चात जहां-जहां संभव हो सड़क के दोनों किनारों तथा Central Verge पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय का वन विभाग की देख-रेख में Strip P:antation की जाएगी। इस आशय की वचन बद्धता प्रेषित करनी होगी।	सड़क निर्माण के पश्चात जहाँ-जहाँ सम्भव हो सड़क के दोनों किनारों तथा सैन्ट्रल वर्ज पर अपने व्यय पर वन विभाग की देख रेख में स्ट्रीप प्लानटेशन किये जाने की वचनबद्धता का प्रमाण पत्र तीन प्रतियों में संलग्न है। (संलग्नक -3)

उपरोक्तानुसार प्रयोक्त एजेन्सी द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति उपरान्त विधिवत स्वीकृति प्राप्त करने हेतु समस्त निहित शर्तों का अनुपालन किया जा रहा है।

अतः अनुरोध है कि उक्त मोटर मार्ग की विधिवत स्वीकृति प्रदान किये जाने हेतु प्रस्ताव अपने स्तर से भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु पर्यावरण मंत्रालय क्षेत्री कार्यालय 25 सुभाष रोड देहरादून को अग्रसारित करने का कष्ट करें।
संलग्न- उपरोक्तानुसार।

अधिशाली अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0,
बैजरा (गढ़वाल)

पत्रांक:-	/ 14 सी0	दिनांक:-	/ /
प्रतिलिपि:-	अपर प्रमुख वन संरक्षण (केन्द्रीय) भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु पर्यावरण मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय 25 सुभाष रोड देहरादून को सादर सूचनार्थ प्रेषित।		
प्रतिलिपि-	वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, पौड़ी गढ़वाल को सादर सूचनार्थ प्रेषित।		
प्रतिलिपि-	मुख्य अभियन्ता महोदय, स्तर- I, लो0नि0वि0 पौड़ी को सादर सूचनार्थ प्रेषित।		
प्रतिलिपि-	अधीक्षण अभियन्ता महोदय, 12वें वृत्त, लो0नि0वि0 पौड़ी को सादर सूचनार्थ प्रेषित।		
प्रतिलिपि-	जिलाधिकारी, पौड़ी गढ़वाल को सादर सूचनार्थ प्रेषित।		
प्रतिलिपि-	सहायक अभियन्ता/खण्डीय अमीन को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।		

अधिशाली अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0,
बैजरा (गढ़वाल)



वन विभाग
उत्तराखण्ड वन एवं पर्यावरण मंत्रालय
परिचालन विभाग
वन अनुसंधान संस्थान परिसर,
कोशी न्यू फॉरेस्ट, देहरादून-248008
दूरभाष 0135-2750809
ईमेल/Email - moef.ddn@gmail.com

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF ENVIRONMENT,
FORESTS & CLIMATE CHANGE
REGIONAL OFFICE,
Pearson Road, FRI Campus,
P.O. New Forest, Dehradun - 248008
Phone: 0135-2750809

वन के 08वीं/कृषि/पीओ/08/131/2018/एफसीओ/1132

दिनांक 19/10/2018

सेवा में
अपर मुख्य सचिव (वन),
उत्तराखण्ड शासन,
सुभाष रोड, देहरादून।

विषय: जनपद - पीढ़ी गढ़वाल में मैथुली-देहरादून-कफलेख-कदूरखाल मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 3.078 हे० वन भूमि का उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

संबंधित ऑनलाइन प्रस्ताव संख्या-FP/UK/ROAD/16539/2015

संदर्भ

उपरोक्त विषय पर Online Proposal No FP/UK/ROAD/16539/2015 का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विधिवत प्रस्ताव पर केन्द्र सरकार से वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा-2 के तहत स्वीकृति मांगी थी।

प्रसंगगत प्रकरण पर समय-समय पर राज्य सरकार से आवश्यक जानकारी/दस्तावेज online मंगवाए जाते रहे हैं, जिनके प्राप्त होने एवं प्रस्ताव पर ध्यानपूर्वक विचार करने के उपरान्त मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि केन्द्र सरकार जनपद- पीढ़ी गढ़वाल में मैथुली-देहरादून-कफलेख-कदूरखाल मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 3.078 हे० वन भूमि का उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन किये जाने की औद्योगिक स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान करती है:-

1. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रत्यावर्तित भूमि के बदले 8.158 हे० जंगल- विलास पल्सा सिविल सोयम भूमि पर प्रतिपूरक वृक्षारोपण एवं उसके 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक वनराशि (वर्तमान दरों को संचालित करते हुये यथासंशोधित) जमा की जायेगी। उक्त भूमि वन विभाग के स्वामित्व के बाहर है अतः इसे वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण किया जायेगा। भूमि के हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात् ही इस सम्बन्धित विधिवत स्वीकृति प्रदान की जायेगी।
2. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007-एफसी. दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार मुद्रा वर्धन (एनपीवी) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी।
3. मुद्रा वर्धन-भूतल की दर में अगर कमी होती है तो बड़ी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त वनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी। इस आशय की प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन बढ़ाव प्रस्तुत की जाए।
4. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार पत्र संख्या 5-3/2007-एफसी. दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार मुद्रा वर्धन (एनपीवी) तथा दूसरी सभी निम्नलिखित प्रयोजन निधि प्रबंधन तथा योजना प्रामिकरण (CAMP) के उद्देश्य निकट वर्तमान Online Portal के माध्यम द्वारा जो कम्पन Generate होता है उसी के माध्यम से किया जाना आवश्यक है, जिसकी सूचना इस सम्बन्धित आदेश में दी जायेगी।
5. उक्त निर्माण के पश्चात् जहाँ-जहाँ कार्य हो उक्त के दोनों किनारों तथा Central Verge पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की गई वनराशि की देख-रेख में strip plantation की जाएगी। इस आशय की वन बढ़ाव प्रेषित करनी होगी।

उपरोक्त सभी शर्तों के परिपूर्ण एवं विन्दुवार पुरस्चष्ट परिपालन आख्या प्राप्त होने पर ही वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत विधिवत स्वीकृति जारी की जायेगी। कृपया अपूर्ण परिपालना आख्या इस कार्यालय की प्रेषित न की जाये। राज्य सरकार द्वारा विधिवत स्वीकृति तथा प्रयोक्ता अभिकरण को वन भूमि हस्तान्तरण की कार्यवाही तब तक नहीं की जायेगी जब तक वन भूमि हस्तान्तरण की विधिवत स्वीकृति भारत सरकार द्वारा जारी नहीं की जाती। सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या प्रेषित करने के पश्चात् विधिवत स्वीकृति अन्य आवश्यक सभी सहित निम्नलिखित शर्तों के साथ प्रदान की जायेगी:-

1. वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जाएगी।
2. एन.पी.वी. की वरों में अगर बड़ोतरी होती है तो प्रयोक्ता अभिकरण बड़ी वरों पर एन.पी.वी. देने के लिए बाध्य होगा।
3. प्रतिपूरक प्लांटरोपण हेतु चयनित 8.156 हे० सिविल एवं सोयम भूमि को छः माह के अन्दर भारतीय वन अधिनियम, 1927 के अर्न्तगत आरक्षित/संरक्षित वन घोषित किया जायेगा तथा नोडल अधिकारी द्वारा अभिसूचना की एक प्रति क्षेत्रीय कार्यालय को प्रेषित की जाएगी।
4. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वन क्षेत्र के आस-पास मजदूरों/स्टॉफ के लिये किसी भी प्रकार का लेबर कैम्प नहीं लगाया जायेगा।
5. प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि का चार फीट ऊँचे आरएसीएससी० पिलर लगाकर सीमांकन करेगा जिन पर Forward एवं Back bearing अंकित किया जायेगा।
6. प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों एवं स्टॉफ के लिये रसोई गैस/कैरोसिन तेल की आपूर्ति की जायेगी, जिससे निकटवर्ती वनों को क्षति न पहुँचे।
7. परियोजना के निर्माण व रख-रखाव के दौरान आस-पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव-जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचायी जायेगी।
8. वन भूमि का प्रयोग प्रस्ताव में दर्शाये गये उद्देश्य के अलावा अन्य किसी उद्देश्य के लिए नहीं किया जायेगा।
9. कम से कम वृक्षों का कटान/पातन किया जाएगा, जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 127 से अधिक न हो।
10. सड़क निर्माण के पश्चात् जहाँ-जहाँ सम्भव हो सड़क के दोनों किनारों तथा Central Verge पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख-रेख में strip plantation की जाएगी।
11. परियोजना निर्माण से उत्सर्जित गलबे वगैरह निरन्तर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत मलबा निस्सारण योजना के अनुसार प्रमाणीय वनाविकारी की देख-रेख में किया जाएगा एवं निर्दिष्ट स्थानों के अलावा अन्यत्र मलबा नहीं फेंका जाएगा।
12. यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अन्तर्गत ज़रूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्ता एजेंसी की जिम्मेवारी होगी।
13. ऐसी अन्य कोई भी शर्त जो कि भारत सरकार भविष्य में पर्यावरण, वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण हेतु आवश्यक समझे।

यदि विधिवत स्वीकृति में दी गई शर्तों का संतोषजनक अनुपालन नहीं किया जाता है तो स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जा सकता है।

(19/11/2018)
वन विभाग

प्रतिनिधि चुनना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1. अपर वन महानिदेशक (एफएसी०), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड, अलीगंज, नई दिल्ली।
2. अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरा नगर फारेस्ट कालोनी, देहरादून, उत्तराखण्ड।
3. आदेश पत्रावली।

1/11/2018
वन विभाग

ROAD 16/22/2015	ROAD16/22/2015SS3	6116722333	19 Oct 2016	CA: 37077/- PCA: 0/- Safety Zone: 38860/- NPV: 0/- Other Charges: 0/- Other Charges2: 0/- Other Charges3: 0/- Total: 67077/-	Add CA: 0/- CAT: 0/- Add PA: 0/- Other Charges: 0/-	✓ Paid	Fund Demand Verified by : 23 Sep 2019 Model Officer On : Bank Name : Corporation Bank (Chellan) Mode of Payment : 24 Sep 2019 Chellan Generated On : 11 Dec 2019 Transaction Date :	Forward Letter Generated Chellan
ROAD 16/22/2015	ROAD16/22/2015SS3	6116722333	17 Nov 2016	CA: 547197/- PCA: 0/- Safety Zone: 0/- NPV: 91260/- Other Charges: 0/- Other Charges2: 0/- Other Charges3: 0/- Total: 145979/-	Add CA: 0/- CAT: 0/- Add PA: 0/- Other Charges: 0/-	✓ Paid	Fund Demand Verified by : 25 Feb 2018 Model Officer On : Corporation Bank Bank Name : Corporation Bank (Chellan) Mode of Payment : 02 Jan 2019 Chellan Generated On : 14 Jan 2019 Transaction Date :	Demand Letter Generated Chellan
Extension of Ganesh Motor road to Kulsan - Chandelcher	ROAD16/22/2015SS3	6116722333	19 Oct 2016	CA: 141779/- PCA: 0/- Safety Zone: 0/- NPV: 20224/- Other Charges: 0/- Other Charges2: 0/- Other Charges3: 0/- Total: 463992/-	Add CA: 0/- CAT: 0/- Add PA: 0/- Strip plantation: 118992/-	✓ Paid	Fund Demand Verified by : 17 Jan 2017 Model Officer On : Corporation Bank Bank Name : Corporation Bank (Chellan) Mode of Payment : 08 Jan 2017 Chellan Generated On : 11 Sep 2017 Transaction Date :	Demand Letter Generated Chellan
Extension of Malabar Derachi Kethi Kethurtha Motor Road	ROAD16/22/2015SS3	6116722333	19 Oct 2016	CA: 111928/- PCA: 0/- Safety Zone: 0/- NPV: 158610/- Other Charges: 0/- Other Charges2: 0/- Other Charges3: 0/- Total: 368170/-	Add CA: 0/- CAT: 0/- Add PA: 0/- Strip plantation: 93242/-	✓ Paid	Fund Demand Verified by : 17 Jan 2017 Model Officer On : Corporation Bank Bank Name : Corporation Bank (Chellan) Mode of Payment : 08 Jan 2017 Chellan Generated On : 11 Jan 2017 Transaction Date :	Demand Letter Generated Chellan
CONSTRUCTION of MAULAPUR - KETU - KEDARGALI - KONGAD - GHODIYANA - BIRONCHAL MOTOR ROAD	ROAD16/22/2015SS3	6116722333	19 Oct 2016	CA: 1442812/- PCA: 0/- Safety Zone: 0/- NPV: 205774/- Other Charges: 0/- Other Charges2: 0/- Other Charges3: 0/- Total: 4702022/-	Add CA: 0/- CAT: 0/- Add PA: 0/- Strip plantation: 120166/-	✓ Paid	Fund Demand Verified by : 26 Sep 2015 Model Officer On : Corporation Bank Bank Name : Corporation Bank (Chellan) Mode of Payment : 27 Sep 2015 Chellan Generated On : 28 Oct 2015 Transaction Date :	Demand Letter Generated Chellan
Basile-Bagdivelgoun-Samaya motor road	ROAD16/22/2015SS3	6116722333	06 Sep 2016	CA: 1442812/- PCA: 0/- Safety Zone: 0/- NPV: 205774/- Other Charges: 0/- Other Charges2: 0/- Other Charges3: 0/- Total: 4702022/-	Add CA: 0/- CAT: 0/- Add PA: 0/- Strip plantation: 120166/-	✓ Paid	Fund Demand Verified by : 26 Sep 2015 Model Officer On : Corporation Bank Bank Name : Corporation Bank (Chellan) Mode of Payment : 27 Sep 2015 Chellan Generated On : 28 Oct 2015 Transaction Date :	Demand Letter Generated Chellan

Handwritten signature and number 11



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, बैजरो (गढ़वाल)
Office of The Executive Engineer, Construction Division P.W.D. Baijro (Garhwal)
E-mail : eepwdbaijro@rediffmail.com, eepwdbaijro01@gmail.com

पत्रांक:-

दिनांक:- / / 2024

प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि वर्तमान मूल्य की दर में अगर बढ़ोतरी होती है तो बढी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि विभाग द्वारा जमा की जायेगी।


AE

(इं० लोकेश सोरस्यत)
अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०,
बैजरो (गढ़वाल)

परियोजना का नाम- जनपद पौड़ी गढ़वाल में मैखुली- देवराडी- कदूरखाल- मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि मोटर मार्ग निर्माण के पश्चात जहां- जहां सम्भव हो सड़क के दोनों किनारों तथा Centaral Verge पर विभाग द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देखरेख में Strip plantation किया जायेगा।

अधिशाली अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०,
बैजरौ (गढ़वाल)

नकल Non Z.A. खेती

जोध - जिहान पटला, धी. री. 2, तहसील - अनाजोल जिला - भी गटवाल

शे. 9 (ख) 2 - अन्य प्रकार की जंगल झाड़ी इत्यादि -

क्र.सं.	नवाये/काबिस का नाम	मुद्दाकाफल	खसरा नंबर	इसफल हैकटेयर में	नाम लोक
1	झाड़ी	सो 9 अरु डारा बन्दोखल	579	7.557	सरोखार लोक
			1	7.557	

नोट :- उपरोक्त भी उत्तराखण्ड सरकार की भी शे. 9 (ख) 2 से पुछा गया ससरा सं. 579 कुल इसफल 7.557 हैकटेयर में से 6.156 हैकटेयर - देवराडी - कफलेस - चौडा - कदूसाल मोट मा का का भी प्रका प्रस्ताव में आवेदित इतिप्रक हदसरोपण स्थल (6.156 हैकटे.) हेतु प्र भी चयनित है।

क्षेत्र 6.156
1.557 एस 0 खजो।

राजस जगनिरिभक

धरी. व. गी. 2

तहसील अनाजोल

गीडी गलवाल

1425 B.

श्रीग - विमानिक पल्लव, वही - वृत्ति - २, रा. अ. शेष - नैजिडा, तद्वर्गिन - धर्मार्थ - विना. धर्मार्थ

	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	१८	१९	२०	२१
79	7.557	9	उत्तराखण्ड सरकार	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	झाड़ी	7.557	-	
1	7.557	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	झाड़ी	7.557	-	

[illegible]

॥१॥
 ॥२॥
 ॥३॥
 ॥४॥
 ॥५॥
 ॥६॥
 ॥७॥
 ॥८॥
 ॥९॥
 ॥१०॥
 ॥११॥
 ॥१२॥
 ॥१३॥
 ॥१४॥
 ॥१५॥
 ॥१६॥
 ॥१७॥
 ॥१८॥
 ॥१९॥
 ॥२०॥
 ॥२१॥
 ॥२२॥
 ॥२३॥
 ॥२४॥
 ॥२५॥
 ॥२६॥
 ॥२७॥
 ॥२८॥
 ॥२९॥
 ॥३०॥
 ॥३१॥
 ॥३२॥
 ॥३३॥
 ॥३४॥
 ॥३५॥
 ॥३६॥
 ॥३७॥
 ॥३८॥
 ॥३९॥
 ॥४०॥
 ॥४१॥
 ॥४२॥
 ॥४३॥
 ॥४४॥
 ॥४५॥
 ॥४६॥
 ॥४७॥
 ॥४८॥
 ॥४९॥
 ॥५०॥
 ॥५१॥
 ॥५२॥
 ॥५३॥
 ॥५४॥
 ॥५५॥
 ॥५६॥
 ॥५७॥
 ॥५८॥
 ॥५९॥
 ॥६०॥
 ॥६१॥
 ॥६२॥
 ॥६३॥
 ॥६४॥
 ॥६५॥
 ॥६६॥
 ॥६७॥
 ॥६८॥
 ॥६९॥
 ॥७०॥
 ॥७१॥
 ॥७२॥
 ॥७३॥
 ॥७४॥
 ॥७५॥
 ॥७६॥
 ॥७७॥
 ॥७८॥
 ॥७९॥
 ॥८०॥
 ॥८१॥
 ॥८२॥
 ॥८३॥
 ॥८४॥
 ॥८५॥
 ॥८६॥
 ॥८७॥
 ॥८८॥
 ॥८९॥
 ॥९०॥
 ॥९१॥
 ॥९२॥
 ॥९३॥
 ॥९४॥
 ॥९५॥
 ॥९६॥
 ॥९७॥
 ॥९८॥
 ॥९९॥
 ॥१००॥

नकशा दुप्या चि
ग्राज-सिक्का पकापुडी-बुडी रानसिनि

वारसे :- मेखुमुनी - देवराडा-कणलेख-चोडा-करनखाल मोटर मार्ग वी

वेग ६॥५६ टक्केपर भी क्षमिप्रश्न सदादीपना दयल



परनविने ६॥५६ टक्केपर भी क्षेत्र नं ५७ वी लाल स्यादी से
दरगिया जमा है

सिद्ध ०५०५११७
१५१० एम० वमा
०५०० जमिनीन
०५००... १५००
०५००... १५००
०५०० नवकर